optiemus

Ref. No. - OIL/CO/SE/2024-25/79 **December 27, 2024**

Listing Department
BSE Limited,
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Scrip Code: 530135

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1 Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Symbol: OPTIEMUS

Subject: Newspaper Advertisement – Corrigendum to the Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Dear Sir/Ma'am,

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the following Newspapers on December 27, 2024, publishing the Corrigendum to the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of Optiemus Infracom Limited ("the Company") scheduled to be held on Saturday, January 04, 2025, at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"):

1. Financial Express (English) - circulating in whole or substantially whole of India;
2. Jansatta (Hindi) – circulating in Delhi (NCR).

The Corrigendum to the Notice is attached herewith for your reference and public dissemination which is self-explanatory.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

Yours truly,
For Optiemus Infracom Limited

Vikas Chandra
Digitally signed by Vikas Chandra
Date: 2024.12.27 12:37:35 +05'30'

Vikas Chandra
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

IE THINC SIXTH EDITION: OUR CITIES

'Skilled jobs can power urban development'

Panellists discussed how cities can boost employability and create enablers for migrant workers to remain invested at the Lucknow edition of IE Thinc: CITIES series, presented by The Indian Express with Omidyar Network India. The session was moderated by Udit Misra, Associate Editor

The Indian EXPRESS thinc OUR CITIES presented by OMIDYAR NETWORK INDIA

KEYNOTE SPEAKER

AMRIT ABHIJAT, *Principal Secretary, UDD, Government of Uttar Pradesh*

Since 2014, investments from the central and state governments have exceeded ₹40,000 crore — six times the budget from prior years — with a 400% rise in state funding for urban development. UP's urban development strategy not only improves livability but also creates economic and professional growth opportunities, fostering sustainable urbanisation. The state's key initiatives include the Swachh Bharat Mission, addressing legacy waste, door-to-door waste collection, and sanitation.

DR BORNALI BHANDARI
PROFESSOR, NATIONAL COUNCIL OF APPLIED ECONOMIC RESEARCH

Skills are important for a job because they help you perform better. Only once the economic activity goes up for a particular sector, will the jobs and demand for those skills increase.

DR GEETA THATRA
ASSOCIATE DIRECTOR, RESEARCH & TRAINING, WORKFARE & FREE

The contribution of migrant workers in city building and economic growth is very high but the urbanisation that they experience is exclusionary. They live in appalling conditions.

PARAMJEET CHAWALA
PROGRAM MANAGER, URBAN ECONOMIST, WRI INDIA

Jobs need to be created in a way that people actually want to stay in the city and do the job for long. It's not just a matter of creating jobs; it is also about livability and quality of life.

SMITA AGARWAL, DIRECTOR & CFO, PTC INDUSTRIES LIMITED; CHAIRPERSON, CII, UTTAR PRADESH

Urbanisation is essential to increase per capita income and drive growth. Infrastructure is a key focus, with significant investments in highways, airports and other large-scale projects.

On UP government's urbanisation initiatives

AMRIT ABHIJAT: At 22%, Uttar Pradesh's urban growth rate is below the national average of 35%. However, cities like Lucknow, Agra and Gorakhpur are growing rapidly, with 1,417 urban centres seeing growth at or above the national level. Since 2014, investments from the central and state governments have exceeded ₹40,000 crore — six times the budget from before — with a 400% rise in state funding for urban development.

Key initiatives include the Swachh Bharat Mission, addressing legacy waste, door-to-door waste collection, and sanitation improvements. Notably, nine lakh toilets were constructed between 2019 and 2024, with 1.5 lakh built for Kumbh Mela in Prayagraj. Enhanced stormwater drainage systems, tree plantations and solid waste management plants combat environmental challenges and groundwater pollution.

Health and sanitation efforts have significantly reduced diseases like Japanese encephalitis in Gorakhpur. Urban animal control is also a priority, with 85,000 stray dogs sterilised in Lucknow over five years. Programmes like the AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) scheme address water and sewerage needs, while digital initiatives like ICCCs (Integrated Command and Control Centres) use AI and IT systems to manage urban mobility, waste and security.

Urbanisation has spurred skill development and employment. Investments in infrastructure, like roads, bridges and airports for Kumbh Mela, created opportunities for drivers, technicians and labourers. Initiatives under the National Urban Livelihood Mission, such as Shakti Rasoi, have empowered women, offering training and incomes of up to ₹2,000 per day. Similarly, Pradhan Mantri Awas Yojana has transformed housing, generating ripple effects in industries like cement, steel, and furniture. Green policies are now a focus, with a three per cent budget reserved for horticulture. Specialised facilities such as senior care centres and working women's hostels provide modern amenities and generate employment in management, security, and service roles. In essence, UP's urban development strategy not only improves livability but also creates economic and professional growth opportunities, fostering sustainable urbanisation.

On the solutions for urbanisation

PARAMJEET CHAWLA: We know that UP is the third-largest economy among states at this point and cities are going to be the engines of growth where the maximum amount of jobs are going to be created. In a recent Delhi-NCR study, we found that the core is hollowing out, which means that even though there's absolute employment, there are concerns that the jobs are moving to the periphery. The core has reached its potential. For Lucknow, based on a very preliminary reading of what I did, we found that the service sector is quite prominent and then we have manufacturing. So understanding and breaking down where the service sector is and using satellite data to do so is important to understand urbanisation.

On how skilling can open up urbanisation

BORNALI BHANDARI: When you want to understand jobs and skills, it is important to look at economics, demography, technological changes, spatial changes and urban-rural transition. We know some of the jobs that are being created but skills are an indirect demand. Only if your economic activity is going up for that particular sector, will the number of jobs increase, and then the demand for those skills will increase. Skills are important for a job because they help you perform better, what we call productivity. You need cognitive skills like reading, writing, learning and communicating, which are all cognitive skills. Cognitive skills like problem-solving, creative thinking and artistic thinking are all more advanced cognitive skills, which develop over time. The second set of skills are adapted from psychological literature — what I call social-emotional skills, essentially empathy, working in a team, and keeping your temper down. These are the big psychological traits that we acquire and use them in our job. If you don't know how to work in a cooperative manner, then you're not going to perform. But the challenge is, are we learning those skills in our schools and colleges? Or do we have to relearn our skills at jobs? That's where the skill mismatch happens. Then there's a third factor, which is technical and vocational skilling, functional skills that you require for the job. All of us need this combination of skills to perform on the job.

Scan the QR code to watch video

On low participation of women in the workforce

GEETA THATRA: There are these schemes and various interventions to propel job creation in urban areas. One gives impetus to job creation in manufacturing and the other to skilling. We see money being put into these kinds of schemes. But the nature of jobs that they create is a question. What we are seeing is an expansion or continued investment, the creation of informal kind of employment. The investments that are made into skilling will only create a certain percentage of formal employment. Jobs are not necessarily being created in the manufacturing sector. We are seeing them mostly being created in the service sector where employment is at the lower rung of the service economy. There, your average salary is ₹12,000-18,000 a month. At the Aajeevika Bureau, we see wage theft as an everyday reality for urban informal workers.

On challenges of employability

SMITA AGARWAL: Uttar Pradesh, with a $280 billion GSDP, aspires to become a $1 trillion economy. Nationally, urban areas contribute 75% to GDP, but in UP, urban sectors account for just 55%. Achieving the $1 trillion goal requires an annual growth rate of 13-15% and raising urbanisation to the national average of 35-40%. Urbanisation is key to raise per capita income and drive growth. Infrastructure is a key focus, with significant investments in highways, airports and other large-scale projects. For example, the Jewar Airport is expected to create around one lakh jobs during construction, with additional opportunities in tourism, special economic zones and ancillary industries. Industrial growth is another major driver. Noida, Greater Noida, and Lucknow are leading examples.

AAP-Cong rift boils over as election nears

Delhi chief minister Atishi and AAP leader Sanjay Singh address the press in New Delhi on Thursday PTI

● AAP will ask INDIA bloc to remove Cong over Ajay Maken's attack on Kejriwal

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, December 26

WITH ASSEMBLY ELECTIONS in Delhi just a month away, the war of words between the AAP and the Congress, two key constituents of the Opposition INDIA bloc, intensified on Thursday, putting others in the grouping in a quandary.

Taking strong objection to AICC treasurer Ajay Maken's attack on its leader Arvind Kejriwal, the AAP asked the Congress to take action against him within 24 hours, failing which it would approach parties of the INDIA bloc to seek the ouster of the Congress from the bloc. The AAP's demand surprised the constituents of the embattled alliance, which is already a divided house with a leadership tussle playing out.

The fresh tussle between the AAP and the Congress was over Maken's remarks against Kejriwal who is the AAP national convenor. The AAP has ruled out an alliance with the Congress in Delhi and both the parties, which fought the Lok Sabha election in alliance in Delhi and neighbouring Haryana, have announced more than half of their candidates. Addressing a press conference on Wednesday, Maken called Kejriwal an "anti-national", "bereft of any ideology except personal ambition". "Only one word can describe Kejriwal in Delhi: 'Farziwal'; if there is any king of farziwada (cheating) in the country, it is Kejriwal," Maken said.

On Thursday, the AAP hit back. Alleging a "deep-rooted collusion" between the Congress and the BJP, Delhi chief minister Atishi and senior leader Sanjay Singh accused Maken of "parroting BJP's script to malign AAP leaders". While Singh said the Congress has "crossed all boundaries", Atishi alleged there was an "unholy alliance" between the Congress and the BJP and that the Congress's candidates' list was "being prepared by the BJP" and their "funding is also being provided by them".

Other constituents of the INDIA bloc said it was time for the Congress to convene a meeting of the bloc to discuss all issues. Pointing out that a meeting of the bloc is long overdue, Rajya Sabha MP Manoj K Jha said, "What INDIA bloc needs in view of everything, including this, is that we should have a meeting." Echoing Jha, CPI general secretary D Raja said the Congress should reach out to other parties. The Congress central leadership, at a huddle in Belagavi in Karnataka, is yet to react to the AAP's aggressive attack.

optiemus

OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

CIN: L64200DL1993PLC054086
Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar Part-II, New Delhi -110024
Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, U.P.-201307
Tel.: 0120-2406450; **E-mail:** info@optiemus.com; **Website:** www.optiemus.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE TO SHAREHOLDERS

Optiemus Infracom Limited issued a Notice dated December 12, 2024, seeking approval of members for certain agenda items through the Extra-Ordinary General Meeting (**"EGM"**). The EGM Notice has already been circulated to all the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder.

The Company through this communication wishes to bring to the notice of the Shareholders, the following changes in the said EGM Notice:

Changes to the Explanatory Statement to Item No. 1 & 2:

Point No. I of the Explanatory Statement to the EGM Notice shall be substituted and read as under:

Objects of the Preferential Issue:

The Company intends to utilize the proceeds raised through the issue of Equity Shares and Warrants (**"Issue Proceeds"**) towards the following objects:

1. To subscribe to the Equity Shares of **Optiemus Electronics Limited**, Subsidiary of the Company. The funds raised shall be utilized by the subsidiary for its capital expenditure (Movable & Immovable Capital Assets) and/ or working capital requirements;
2. To subscribe to the Equity Shares of **GDN Enterprises Private Limited**, Subsidiary of the Company. The funds raised shall be utilized by the subsidiary for its capital expenditure (Movable & Immovable Capital Assets) and/ or working capital requirements;
3. To subscribe to the Equity Shares of **Optiemus Unmanned Systems Private Limited**, Subsidiary of the Company. The funds raised shall be utilized by the subsidiary for its capital expenditure (Movable & Immovable Capital Assets) and/ or working capital requirements;
4. To subscribe to the Equity Shares of **Bharat Innovative Glass Technologies Private Limited**, as its proportionate contribution in Joint Venture cum Subsidiary Company i.e. 70% of its paid-up equity-share capital;
5. To meet working capital requirements of the Company; and
6. For General Corporate Purposes.

(Hereinafter collectively referred to as **"Objects"**)

Utilization of Proceeds

As the funds to be received against the issue of Equity Shares, allotment of warrants and conversion of warrants into Equity Shares, will be in tranches and the quantum of funds required on different dates may vary therefore, the Broad Range of intended use of the Issue Proceeds of the Issue is as under:

S. No.	Particulars	Total estimated amount to be utilized (Rs. In Lakh)*	Tentative timelines for utilization of issue proceeds from the date of receipt of funds
1.	To subscribe to the Equity Shares of **Optiemus Electronics Limited**, Subsidiary of the Company. The funds raised shall be utilized by the subsidiary for its capital expenditure (Movable & Immovable Capital Assets) and/ or working capital requirements;	10,034.81	On or before March 31, 2027
2.	To subscribe to the Equity Shares of **GDN Enterprises Private Limited**, Subsidiary of the Company. The funds raised shall be utilized by the subsidiary for its capital expenditure (Movable & Immovable Capital Assets) and/ or working capital requirements;	7,602.13	On or before March 31, 2027
3.	To subscribe to the Equity Shares of **Optiemus Unmanned Systems Private Limited**, Subsidiary of the Company. The funds raised shall be utilized by the subsidiary for its capital expenditure (Movable & Immovable Capital Assets) and/ or working capital requirements;	2,736.76	On or before March 31, 2027
4.	To subscribe to the Equity Shares of **Bharat Innovative Glass Technologies Private Limited**, as its proportionate contribution in Joint Venture cum Subsidiary Company i.e. 70% of its paid-up equity-share capital;	10,034.81	On or before March 31, 2027
5.	To meet working capital requirements of the Company;	2,172.04	On or before December 31, 2026
6.	For General Corporate Purposes	10,860.18	On or before December 31, 2026
	Total	43,440.73	

(*) considering 100% conversion of Warrants into Equity Shares within the stipulated time.

Note:

1. *All decimals have been rounded off to two decimal points.*
2. *In terms of BSE & NSE Notice dated December 13, 2022, the amount specified for the abovementioned object of issue size may deviate +/- 10% depending upon the future circumstances, as the objects are based on management estimates and other commercial and technical factors. Accordingly, the same is dependent on a variety of factors such as financial, market and sectoral conditions, business performance and strategy, geopolitical, competition and other external factors, which may not be within the control of the Company.*

Schedule of Implementation and Deployment of Funds

The Net Issue Proceeds to be received by the Company on the allotment of Equity Shares and Warrants, within 18 (Eighteen) months period from the date of allotment of warrants in terms of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations and as estimated by our management, the entire proceeds received from the issue would be utilized for all the above-mentioned objects, in phases, as per the Company's business requirements and availability of issue proceeds, latest by March 31, 2027.

Interim Use of Proceeds

Our Company, in accordance with the policies formulated in accordance with the applicable laws and guidelines and description as given in this Notice, will have flexibility to deploy the Gross Proceeds. Pending utilization of the Gross Proceeds for the purposes described above, our Company intends to deposit the Gross Proceeds only with scheduled commercial banks included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934.

All other particulars and details remain unchanged. The corrigendum shall be read in conjunction with the Notice of Extra-Ordinary General Meeting dated December 12, 2024, together with an explanatory statement. This corrigendum is also available on the Company's website at www.optiemus.com, and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com (**"BSE"**) **and on the website of CDSL at** www.evotingindia.com. The corrigendum shall also be sent electronically to all the registered shareholders of the Company.

For **Optiemus Infracom Limited**
Sd/-
Vikas Chandra
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Noida
Date: December 26, 2024

FROM THE FRONT PAGE

Former PM Manmohan Singh passes away

IN THE SAME year, the Right to Information Act, too, was brought in, and it has since served as a tool for higher accountability in governance.

His second term as prime minister (UPA-II 2009–2014) saw the enactment of the National Food Security Act. The later part of that term saw a host of corruption allegations against the government, including over the allocation of natural resources like telecom spectrum and coal blocks. In UPA-I, Singh stood firm despite heavy coalition odds to sign the agreement for civil nuclear cooperation between India and the US. The agreement granted India, despite not being a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, access to nuclear technology and fuel for its civilian nuclear energy projects.

Singh's 1991 Budget speech, which began with the declaration that, "no power on Earth can stop an idea whose time has come", unleashed a set of crucial economic reforms that helped integrate Indian economy with the rest of the world. To address the depletion of foreign exchange reserves, the rupee was made to lose 19% with respect to the dollar, a move that made exports competitive.

Specifically, quantitative import restrictions were progressively removed and import tariffs limited to not higher than

150%, while lowering rates across the board, along with excise duties for domestic manufacturing. Also, his tenure as finance minister saw cuts in SLR and CRR rates, liberalisation of interest rates, loosening restrictions on private banks, and allowing banks to open branches as they deem fit.

The period also saw the RBI, acting in close coordination with the government, moving towards flexible but managed exchange rate. The market was given the confidence that the RBI had the ability to intervene in the market when warranted. By 1996, the exchange rate became sufficiently flexible and interest rates became market-determined.

Singh was born on September 26, 1932, in the Punjab province of undivided India. His academic credentials were burnished by the years he spent on the faculty of Punjab University and the Delhi School of Economics. He went on get a doctorate from the Nuffield College at Oxford University in 1962. In 1971, Singh joined the government of India as economic advisor in the commerce ministry. This was soon followed by his appointment as chief economic advisor. He also held several other positions in the government, including secretary in the Ministry of Finance, Deputy Chairman of the Planning Commission, RBI governor and advisor of the Prime Minister; and chairman of the University Grants Commission. He was the leader of the Opposition in Rajya Sabha between 1998 and 2004.

Mahatma's legacy under threat from those in power in Delhi, says Sonia

PRESS TRUST OF INDIA
Belagavi (Karnataka), December 26

ASSERTING THAT MAHATMA Gandhi has been and will continue to be the fundamental source of inspiration, Congress Parliamentary Party (CPP) chief Sonia Gandhi on Thursday said his legacy is under threat from those in power in Delhi and the ideologies and institutions that have nurtured them.

In her message read out at the Congress Working Committee (CWC) meeting here, Sonia Gandhi lashed out at the Narendra Modi government and the RSS, and called for fighting the forces which she claimed had created a toxic atmosphere that led to Mahatma Gandhi's assassination. Sonia Gandhi, who could not travel to Belagavi, said Mahatma Gandhi becoming Congress president here was a turning point for the party and for the Independence movement. "It was a transformational milestone in our country's history. Today, we rededicate ourselves to preserve, protect and promote the legacy of Mahatma Gandhi," she said.

(From left) Karnataka CM Siddaramaiah, Congress president Mallikarjun Kharge, leader Rahul Gandhi and Karnataka Deputy CM D K Shivakumar during a march in Belagavi PTI

"It was he who moulded and guided all our remarkable galaxy of leaders of that generation. His legacy is under threat from those in power in New Delhi and the ideologies and institutions that have nurtured them," she said. "These organisations never fought for our freedom. They opposed Mahatma Gandhi bitterly. They created a toxic atmosphere that led to his assassination. They glorify his killers," Sonia Gandhi said.

The former Congress president said Gandhian institutions in various places across the nation are under assault and noted that it is fitting that this meeting is called 'Nava Satyagraha Baithak'. "It is now our sacred duty to renew our resolve to confront these forces with all the might at our command and with uncompromising determination," she said. "Our great organisation with such a glorious history has, time and again demonstrated its resilience. Let us individually and collectively move forward from this meeting firm in our resolve to meet the many challenges our party faces with a renewed sense of urgency and a refreshed sense of purpose," she said.

World looks at India for youth power: PM on Veer Bal Diwas

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, December 26

HIGHLIGHTING HOW YOUTH energy has played a significant role in the country's progress, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that the world looks at India with hope and expectation because of its youth power, which is driving new revolutions.

From freedom struggle to the 21st century movements, the Indian youth have contributed to every revolution, he said while participating in a Veer Bal Diwas event in New Delhi.

Underlining that the government's biggest policy focus is empowering the youth, he said, "All policies, whether for the startup ecosystem, future of the space economy, sports and fitness sector, fintech and manufacturing industry, or skill development and internship schemes, are youth-centric and aimed at benefiting young people." He underlined the need to make the youth futuristic, given the shift from traditional software to AI and the rise of machine learning.

UPSIDA

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

निर्माण खण्ड-पंचम, ई.पी.आई.पी., शास्त्रीपुरम, आगरा

ई–निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विभिन्न जनपदों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में सिविल विकास/अनुरक्षण कार्यों हेतु यूपीसीडा एवं अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में अर्ह श्रेणी के पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से पूर्णकालीन ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत रू0 (लाख में)
1	Providing and Fixing Barbed wire fencing in park & Green Belt at I.A. Firozabad. Distt.-Firozabad.	28.31
2	Construction of Boundary Wall around park Between Road No. 25 & 26 at I.A. Sikandra Site-C Distt.-Agra.	20.84

क्र0सं0–01 अल्पकालीन निविदा है जो दिनांक 27.12.2024 से दिनांक 02.01.2025 तक अपलोड एवं समस्त शपथ प्रपत्र मूल प्रतियों में कार्यालय में जमा की जा सकती है। जिसे दिनांक 03.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे या इसके पश्चात कार्यालय में खोला जायेगा। क्र0सं0–02 पूर्णकालीन निविदा है जो दिनांक 27.12.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 15.01.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, प्राप्त ई–निविदा को दिनांक 16.01.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे या इसके पश्चात खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा अपलोड किये गये समस्त शपथ प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 15.01.2025 की सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा को Consider नहीं किया जायेगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी website: www.onlineupsida.com पर स्थापित ई–लिंक यूपीएलसी की website:- http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

स्वीदान सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-पंचम, आगरा। मो0 9315883060

SMFG IndiaCredit

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

कार्पोरेट कार्यालय : 10 तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051,

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अधीन]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्वतः फुलरटन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड) (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) जिसका पंजीकृत कार्यातलय कॉमरजोन आईटी पार्क, टावर बी, प्रथम तल, नंबर 111, माउन्ट पूनामल्ली रोड, पोरूर चेन्नई–600116 तथा कार्पोरेट कार्यालय तल 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लेक कैसल के पीछे, पोवई, मुंबई–400076 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 11–02–2022 जारी की थी, जिसमें कर्जदार(रों) **(1) तान्या सोरन, (2) संजय कुमार डुंडेला, (3) प्रिथी सिंह से ऋण खाता सं. 173020910661601 एवं 173020910754936** के संबंध में सूचना दिनांकित **11–02–2022** में वर्णित राशि **रू. 22,10,601/– (रूपये बाईस लाख दस हजार छह सौ एक मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा 24–12–2024 को ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्वतः फुलरटन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड) की यहां बकाया राशि **रू. 22,10,601/– (रूपये बाईस लाख दस हजार छह सौ एक मात्र)** तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ग्राम पुरी चावला कालोनी, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नंबर 34//17(8–0) के अंश क्षेत्रफल परिमाप 2 मरला पर सम्पत्ति उसके ऊपर निर्माण सहित।

स्थान : बल्लभगढ़, तिथि : 27–12–2024 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्वतः फुलरटन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड)

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	46089420000042	1) श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी श्री दशरथ (उधारकर्ता), 2) श्री अनुराग, पुत्र. श्री दशरथ (सह–उधारकर्ता)	10.10.2024 रु.6,97,069/– (छह लाख सत्तानवे हजार उनसठ रुपये मात्र) 08–10–2024 तक	दिनांकः 24–12–2024 / 12:58 दोपहर प्रतीकात्मक कब्जा
	संपत्ति का विवरणः वर्ष 2018–2019 की जमाबंदी के अनुसार, 250 वर्ग गज यानि 8 मरला–2 सरसई, 10 के–7 मीटर भूमि का 1/25 हिस्सा, खेवट संख्या 225/191, खतौनी संख्या 287, खसरा संख्या 726 (10–7), कित्ता–1 में शामिल, गांव कयोदक, तहसील और जिला कैथल में स्थित है। पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 2584 के तहत दिनांक –30–6–2021खरीदी गई। श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी श्री दशरथ के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः खाली प्लॉट, पश्चिमः चौपाल, उत्तरः गली 16 फीट चौड़ी, दक्षिणः गली 15 फीट चौड़ी।			
2	32059440000290	1) मेसर्स दीपक, प्रोप. सुरेश एंड संस कंपनी, 2) श्री दीपक, पुत्र श्री सुरेश कुमार (उधारकर्ता), 3) श्री सुरेश, पुत्र श्री जय नारायण (गारंटर), 4) श्रीमती सुनी (गारंटर), 5) श्री सागर (गारंटर)	05.09.2024 रु.18,26,839/– (अठारह लाख छब्बीस हजार आठ सौ उनतीस मात्र) 03.09.2024 तक	दिनांकः 24–12–2024 / 3:11 दोपहर प्रतीकात्मक कब्जा
	संपत्ति का विवरणः संपत्ति का विवरणः 1 किता प्लॉट, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज न्यूनतम, खेवट संख्या 1120 न्यूनतम, खाता संख्या 1830 न्यूनतम, खसरा संख्या 2763 (3–8) 2769 (0–13) 2770 (0–3) 2772 (0–13) 3763/2773 (0–2) बहादुरगढ़, जिला झज्जर, विकास सूरत बहरीगोंडा में स्थित है। श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री जय नारायण के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः डिगरान का प्लॉट, पश्चिमः डिगरान का प्लॉट, उत्तरः गली 18 फीट चौड़ी, दक्षिणः डिगरान का प्लॉट।			

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली एनसीआर — हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 27–12–2024 — जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071
शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यूई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

Piramal Finance

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के रूप में अभिज्ञात),
सीआईएन : L65910MH1984PLC032639

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 601, 6ठवां तल, पीरामल अमिति भवन, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फॉयर स्टेशन के सम्मुख, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई– 400070, **दूरभाष :** 91 22 3802 4000
शाखा कार्यालय : सं. 211 एवं 212, द्वितीय तल, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, भूखण्ड सं. टीसी/जी–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010

अधिग्रहण सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल संपत्ति हेतु

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को माँग सूचना(एं) निर्गत की गई थीं, जिनमें अर्थात् सूचना/ओं में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहाँ इसमें निम्नांकितानुसार बकाया एक राशि तथा इस पर ब्याज हेतु पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	माँग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	(ऋण कोड संख्या– BLSA0001099B), (मुरादाबाद – शाखा), संजीव सिंह (उधारकर्ता)/शालू राघव (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– खसरा संख्या 114 मुख्य वेक मौजा शिहोरा गोविंद भार चुंगी मोरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001	25.07.2024 हेतु रु. 555613/– (पांच लाख पचपन हजार छह सौ तेरह रुपये मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक
2.	(ऋण कोड संख्या–BLSA00018446), (मुरादाबाद – शाखा), मोहम्मद अजीम (उधारकर्ता) / रविया खातून (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– निजी भूखंड संख्या 395 का हिस्सा, मोहल्ला रहमत नगर, ग्राम में स्थित है भदौरा, रहमत नगर, छपार वाली मस्जिद, मुरादाबाद–244001	16.10.2024 हेतु रु.807773.22 (आठ लाख सात हजार सात सौ तिहत्तर रुपए और बाईस पैसे मात्र)	21.12.2024 /भौतिक
3.	(ऋण कोड संख्या–HLSA0000C3A9), (मुरादाबाद – शाखा), अलीमुददीन (उधारकर्ता) फुरकान अली (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– एलआईजी हाउस नंबर 25, सीतापुरी दास सराय आवास योजना, मोहम्मदी मस्जिद, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश	16.10.2024 हेतु रु. 2857365.58 (अट्ठाईस लाख सत्तावन हजार तीन सौ पैंसठ रुपए और अट्ठावन पैसे मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक
4.	(ऋण कोड संख्या–HLSA000328 1A), (मुरादाबाद – शाखा), मोहम्मद वसीम (उधारकर्ता) / सुंदुस रूही (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– गाटा संख्या 136, जयंतीपुर, शहर और जिला– मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश–244001	25.06.2024 हेतु रु. 1273216/– (बारह लाख तिहत्तर हजार दो सौ सोलह रुपये मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक
5.	(ऋण कोड संख्या– HLSA00067674), (मुरादाबाद – शाखा),आमिर (उधारकर्ता)/श्रीमती. हिना बी (सह–उधारकर्ता) मोहम्मद असलम (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– गाटा संख्या 713, संपत्ति वेक–ताजपुर माफी, रजा मस्जिद, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश में स्थित है	16.10.2024 हेतु रु. 1532903.82 (पंद्रह लाख बत्तीस हजार नौ सौ तीन रुपए तथा बयासी पैसे मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक
6.	(ऋण कोड संख्या–M0172088), (मुरादाबाद–शाखा), शमीम (उधारकर्ता) / शबीना परवीन (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– खसरा नंबर 268 मिन. पर प्लॉट अल हहवाली मस्जिद के पास मौजा– जयंतीपुर टीचर्स कॉलोनी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001	16.10.2024 हेतु रु.1707032.92 (सत्रह लाख सात हजार बत्तीस रुपये और बयानबे पैसे मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक
7.	(ऋण कोड संख्या– BLSA00004D21), (मुरादाबाद – शाखा), मोहम्मद आरिफ (उधारकर्ता)/ नईमा बेगम (सह–उधारकर्ता) (सह–उधारकर्ता)/	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– खसरा संख्या 445 मिन., ग्राम–भदोरा, कामिलनूर मस्जिद के पास, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश	16.10.2024 हेतु रु. 657015.04 (छह लाख सत्तावन हजार पन्द्रह रुपए और चार पैसे मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक
8.	(ऋण कोड संख्या– BLSA00005411), (मुरादाबाद–शाखा), मोहम्मद आरिफ (उधारकर्ता) / शबनम (सह–उधारकर्ता) मोहम्मद सादिक (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– खसरा नंबर 373 मिन., वेक ग्राम– धीमरी, मोहम्मदी मस्जिद, मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेश	16.10.2024 हेतु रु. 659065.34 (छह लाख उनसठ हजार पैंसठ रुपए तथा चौंतीस पैसे मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक
9.	(ऋण कोड संख्या– HLSA0006788E), (मुरादाबाद – शाखा), कल्लू (उधारकर्ता) / फरीदा (सह–उधारकर्ता) मोहम्मद कैफ (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश– गाटा संख्या 132, संपत्ति गांव जयंतीपुर, शिव मंदिर के पास, मुरादाबाद उफ्तर प्रदेश 244001	16.10.2024 हेतु रु. 2094215.5 (बीस लाख चौरानबे हजार दो सौ पंद्रह रुपए और पचास पैसे मात्र)	21.12.2024 /सॉकेतिक

स्थान : उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, दिनाँक : 27/12/2024 (प्राधिकृत अधिकारी) पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

IDFC FIRST Bank

सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वाँ तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न–वर्णित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुगतेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	26141570	गृह ऋण	1. शैलेन्द्र, 2. भगवती 3. रतन पाल सिंह, 4. सरिता	11.12.2024	35,15,733.09/–

संपत्ति का पता : निर्मित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका नंबर 364 है, प्लॉट नंबर 44, क्षेत्रफल 40 वर्ग गज यानी 33.444 वर्ग मीटर है मीटर पानी और बिजली मीटर कनेक्शन के साथ अंतिम मंजिल तक निर्माण करने के अधिकार के साथ, खसरा संख्या 459 में, सिकंदरपुर गांव के क्षेत्र में स्थित, गली नंबर 6, दुर्गापुरी एक्सटेंशन लोनी रोड, इलाका–शाहदरा, दिल्ली, दिल्ली–10032 की आबादी में, और निम्नलिखित से घिरा हुआः उत्तरः दूसरों की संपत्ति, दक्षिणः गली 14 फीट। पूर्वः दूसरों की संपत्ति, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
2.	22652138	गृह ऋण	1. गुरमीत सिंह 2. कवल जीत कौर	14.12.2024	11,32,177.67/–

संपत्ति का पता : तीसरी मंजिल पर संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल बिना (छत/छत के अधिकार के), संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड–137–1, प्लॉट संख्या 176 पर निर्मित, भूमि क्षेत्र 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 35, किला संख्या 5 में से, गांव ख्याला, दिल्ली राज्य, कॉलोनी विष्णु गार्डन, नई दिल्ली– 110018 के क्षेत्र में स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः– पूर्वः संपत्ति संख्या 137, उत्तरः गली, पश्चिमः अन्य संपत्ति, दक्षिण : अन्य संपत्ति

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
3.	135799293	गृह ऋण	1. प्रगति जैन 2. नितिन जैन	14.12.2024	50,96,308.49/–

संपत्ति का पता : फ्री होल्ड बिल्ट–अप संपत्ति संख्या IV/253–ए की पहली मंजिल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, यानी 83.61 वर्ग मीटर, (900 वर्ग फीट), माप 30 फीट x 30 फीट, प्लॉट संख्या 82 पर निर्मित, सामने की तरफ एक ड्राइंग–कम–डाइनिंग, तीन बेडरूम, एक रसोईघर, दो स्नानघर/शौचालय प्रथम तल पर, छत के स्तर तक, बिजली से सुसज्जित, अलग मीटर के साथ नल का पानी, साथ में सामान्य सीढ़ी, सामान्य मुख्य द्वार/प्रवेश द्वार, सामान्य मार्ग, सामान्य लिफ्ट का उपयोग करने का अधिकार, स्टिल्ट फ्लोर में एक कार और एक दो पहिया वाहन पार्किंग के साथ, उक्त भूखंड पर अविभाजित, अविभाज्य, निष्पक्ष, आनुपातिक स्वामित्व अधिकार, उस पर लगे सभी फिक्स्चर और फिटिंग्स के साथ, सभी सामान्य सुविधाओं, सुख–सुविधाओं के साथ, उक्त भवन में प्रदान की गई, आबादी गली नंबर 5, डी.एस. ब्लॉक, भोला नाथ में स्थित नगर, शाहदरा, गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 के क्षेत्र में, और इसकी सीमाएंः– पूर्वः सड़क 13 फीट, पश्चिमः पीछे का हिस्सा / सड़क 10 फीट, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः संपत्ति संख्या IV/253–सी

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुगतेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां आरंभ करने को बाध्य–विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय / पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

दिनाँक : 27/12/2024 — हस्ता./–
स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग डी–7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार(रों)/जमानती(यों) से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख वर्णित राशियों तथा ब्याज एवं अन्य प्रभारों/व्ययों के लिए **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
1. छोटू सिंह पुत्र राम करण, सिसोदिया गार्डन के पास, 403, राजीव गांधी कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान – 342008, 2. लाली कंवर पत्नी छोटू सिंह, सिसोदिया गार्डन के पास, 403, राजीव गांधी कॉलोनी , पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान – 342008. ऋण खाता संख्या 2232210040000015 में।	प्लॉट नंबर 79 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नंबर 380, आशापूर्णा सिटी, पाल, जोधपुर, राजस्थान में स्थित है, जो इस प्रकार घिरा हैः सीमाएंः पूर्वः पश्चिमः प्लॉट नंबर 50, उत्तरः प्लॉट नंबर 78, दक्षिणः प्लॉट नंबर 80, संपत्ति श्रीमती लाली कंवर पत्नी छोटू सिंह यानी आप में से नंबर 2 की है।	10.11.2023	24.12.2024	रु. 10,24,646/– तिथि 06.11.2023 तक तथा उस पर ब्याज

तिथि : 26.12.2024 — स्थानः जोधपुर (राजस्थान) — अधिकृत प्राधिकारी

varthana

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : नंबर 5 बीसी–110, वरसिद्धि, 3सरा तल, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043, वेबसाइट www.varthana.com, ई–मेल : care@varthana.com, फोनः 080–68455777, शाखा कार्यालय : अजन्ता, प्लॉट नं. 14/73, तीसरा तल शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर–302020

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) एवं (3) के तहत सूचना।

हम एतद्वारा यह सूचना आपको सर्व करते हैं, जिसकी विषय–वस्तु पर आप कृपया ध्यान दें : कि आप कर्जदार ने सह–आवेदकों/बंधककर्ताओं सहित इंडियन स्कूल फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके पश्चात मूल ऋणदाता संदर्भित (आईएसएफसी) से ऋण सुविधा की स्वीकृति हेतु सम्पर्क एवं निवेदन किया। यह मांग सूचना 02.12.2024 को जारी की गयी जिसके विषय–वस्तु का प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार सूचना की सर्विस के लिए कर्जदार/सह–आवेदकों/बंधककर्ता सं. 3 को वैकल्पिक सर्विस के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि प्रदत्त पते पर सूचनाएं सर्व नहीं की जा सकीं। आपके निवेदन और आग्रह पर, हमने निम्नलिखित ऋण सुविधाएं (इसके पश्चात सामूहिक रूप से ''ऋण सुविधा'' सन्दर्भित) स्वीकार कीं। विवरण नीचे उल्लिखित है :

ऋण खाता सं. 114104000001. स्वीकृत ऋण राशिः रु. 11,33,000/– 02–12–2024 तक कुल देयता, रु. 2,040,393/– (संविदात्मक ब्याज दर सहित), कर्जदार, सह–आवेदक और बंधककताओं का नाम और पता 1. **मेसर्स कल्पना प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, (मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर)**, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, एफ–37 रीको औद्योगिक क्षेत्र, खेरदा, स्वामी माधोपुर, राजस्थान – 322001. 2. **मेसर्स सोशल एनवायरनमेंट एंड रूरल केयर हेरिटेज सोसाइटी**, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, प्लॉट सं.1, मधुबन कॉलोनी, खेरदा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान– 322001. और यहां भीः मेसर्स. सामाजिक पर्यावरण और ग्रामीण देखभाल हेरिटेज सोसायटी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, गांव और पोस्ट – गोठड़ा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान – 322001. 3. **श्री राम राज मीना, पुत्र भैरू लाल मीना**, निवासी, जी1–78, रीको एरिया, खेरदा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान – 322001. 4. श्रीमती मोसनी देवी मीना, पत्नी राम राज मीना, निवासी, जी1–78, रीको एरिया, खेरदा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान – 322001

यह कि आपने समय-समय पर उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और राशि का उपयोग किया और इसके अलावा, वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय आपने उक्त समझौते/दस्तावेजों के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए एक वचन दिया। आपने कंपनी के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित करते हुए टाइटल डीड/पंजीकृत बंधक के जमा के माध्यम से एक बंधक भी बनाया है जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है।

कि आपने उपरोक्त क्रेडिट सुविधा का उपयोग करना जारी रखा, हालांकि, आप अनियमित हो गए और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे, हमारे बार-बार अनुरोध और कंपनी के अधिकारियों द्वारा याद दिलाने के बावजूद आप उक्त देय राशि/बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहे और उपेक्षा की।

उपर्युक्त क्रेडिट सुविधा का संचालन और व्यवहार अनियमित हो गया है और आपके द्वारा मूल ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार ऋण खाते को 31.10.2017 को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और एतद्वारा उक्त ऋण/ऋण सुविधा को वापस लेते हैं और आपसे आह्वान करते हैं कि उक्त समझौते के तहत आपके द्वारा देय ब्याज और सभी राशियों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें।

आपके द्वारा की गई चूक के कारण, आप संयुक्त रूप से और अलग-अलग 02.12.2024 **तक रु.** 20,40,393/– कुल बकाया राशि तथा भुगतान की तारीख तक, ब्याज की सहमत अनुबंध दर के साथ प्रासंगिक व्यय, लागत और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इन परिस्थितियों में, हम एतद्द्वारा आपसे उपर्युक्त 02.12.2024 तक रु. 20,40,393/– **(रूपए बीस लाख चालीस हजार तीन सौ तिरानबे मात्र) तथा** 03.12.2024 से संविदात्मक दर पर भावी ब्याज और उस पर कानूनी लागत/शुल्क का इस नोटिस की तारीख से 60 (साठ) के भीतर भुगतान करने का आह्वान करते हैं। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की उपरोक्त शर्तों के अनुसार कंपनी को उपरोक्त राशि को आगे के ब्याज और आकस्मिक खर्चों के साथ चुकाने में विफल रहते हैं, तो कंपनी धारा 13 की उप-धारा (4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी।

आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13 की उप-धारा (13) के संदर्भ में आप कंपनी की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा नीचे वर्णित कथित प्रतिभूत संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करेंगे।

यह नोटिस कंपनी के इस तरह के अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, क्योंकि यह कानून के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के तहत अपने वैध देय राशि की वसूली के लिए आवश्यक है।

सूचित हों कि उपरोक्त विषय ऋण खाता संख्या इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी से वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को असाइनमेंट डीड दिनांक 29-02-2024 के माध्यम से सौंपी गई है। इसके अलावा, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अब ऋणदाता की भूमिका निभाई है और अब आपके पास आपसे ऋण बकाया राशि को वैध रूप से वसूलने का अधिकार है। इसके अलावा, उपरोक्त संदर्भित ऋण खाता संख्याओं से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित और अंतर्निहित प्रतिभूति हितों, गारंटी, प्रतिज्ञाओं के साथ ऋणी(ओं) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में निहित हैं और वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करता है।

यदि आपको इस नोटिस के जवाब में कोई अभ्यावेदन देना है, तो कृपया उसे अधिकृत अधिकारी, मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वरसिद्धि, नंबर 5बीसी–110, तीसरी मंजिल, सर्विस रोड, 3सरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, बैंगलोर–560043 को मार्क करें।

अचल संपत्ति (प्रतिभूत संपत्ति) का विवरणः संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 1125 वर्ग फीट, प्लॉट संख्या 81, क्षेत्रफल 1395 वर्ग फीट, आवासीय रूपांतरित भूमि खसरा संख्या 1449, 1457, 1457 पर ग्राम–धुमनखुर्द, तहसील–सवाई माधोपुर, जिला–सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित है। प्लॉट संख्या 81 और 82 की **सीमाएं इस प्रकार हैं**:– उत्तर – प्लॉट संख्या 80, दक्षिण – सार्वजनिक सड़क, पूर्व – प्लॉट संख्या 84, पश्चिम – सार्वजनिक सड़क।

दिनांकः 27.12.2024, स्थानः जयपुर — प्राधिकृत अधिकारी, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

optiemus

ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड

सीआईएन : L64200DL1993PLC054086
पंजीकृत कार्यालय : के–20, द्वितीय तल, लाजपत नगर भाग–II, नई दिल्ली– 110024
निगमित कार्यालय : डी– 348, सेक्टर– 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201307
दूरभाष : 0120–2406450; ई–मेल : info@optiemus.com; वेबसाइट : www.optiemus.com

शेयरधारकों को दी गई सूचना का शुद्धिपत्र

ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड ने असाधारण सामान्य बैठक (''ईजीएम'') के माध्यम से निश्चित एजेंडा मदों के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक सूचना दिनांकित 12 दिसंबर 2024 निर्गत की है। ईजीएम सूचना को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित उसके प्रावधानों के नियत अनुपालन के अनुरूप कंपनी के समस्त शेयरधारकों को पहले ही प्रेषित किया जा चुका है।

इस संचार के माध्यम से कंपनी चाहती है कि वह उक्त ईजीएम सूचना में किये जानेवाले निम्नलिखित परिवर्तनों को शेयरधारकों के संज्ञान में लाए :

मद सं. 1 एवं 2 के व्याख्यापरक विवरण में परिवर्तन :

ईजीएम सूचना के व्याख्यापरक विवरण का बिंदु सं. I प्रतिस्थापित होगा तथा निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :

अधिमान्य निर्गम के उद्देश्य :

कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इक्विटी शेयरों एवं वारंटों (''इश्यू प्रोसीड्स'') के माध्यम से जुटाई गई आय का उपयोग करने का इरादा रखती है :

1. ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंपनी की सहायक, के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने के लिए। सहायक कंपनी द्वारा जुटाई गई निधियों का उपयोग अपने पूंजीगत व्यय (चल और अचल पूंजीगत संपत्तियों) तथा / अथवा कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किया जायेगा;
2. जीडीएन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी की सहायक, के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने के लिए। सहायक कंपनी द्वारा जुटाई गई निधियों का उपयोग अपने पूंजीगत व्यय (चल और अचल पूंजीगत संपत्तियों) तथा / अथवा कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किया जायेगा;
3. ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी की सहायक, के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने के लिए। सहायक कंपनी द्वारा जुटाई गई निधियों का उपयोग अपने पूंजीगत व्यय (चल और अचल पूंजीगत संपत्तियों) तथा / अथवा कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किया जायेगा;
4. भारत इनोवेटिव ग्लास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने के लिए, संयुक्त उद्यम सह सहायक कंपनी में इसके आनुपातिक योगदान अर्थात् चुकता इक्विटी–शेयर पूंजी का 70%;
5. कंपनी की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए; तथा
6. सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।

(यहाँ इसमें इसके बाद सामूहिक रूप में "उद्देश्यों" के रूप में संदर्भित)

आय का उपयोग

चूंकि इक्विटी शेयरों के निर्गत होने, वारंटों के आबंटन और वारंटों का इक्विटी शेयरों में अंतरण करने के समक्ष प्राप्त होने वाली धनराशियां किस्तों में होंगी और विभिन्न तिथियों पर अपेक्षित निधियों की मात्रा भिन्न हो सकती है, इसलिए इश्यू की आय का उपयोग की ब्राड रेंज निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	कुल अनुमानित उपयोग की जाने वाली राशि (रु. लाख में)*	निधियों की प्राप्ति की तिथि से निर्गम आय के उपयोग की अनंतिम समयसीमा
1.	कंपनी की सहायक कंपनी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेना। जुटाई गई धन. राशि का उपयोग सहायक कंपनी द्वारा अपने पूंजीगत व्यय (चल और अचल पूंजीगत परिसंपत्तियां) और/या कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा;	10,034.81	31 मार्च, 2027 को या इससे पहले
2.	कंपनी की सहायक कंपनी जीडीएन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेना। जुटाई गई धनराशि का उपयोग सहायक कंपनी द्वारा अपने पूंजीगत व्यय (चल और अचल पूंजीगत परिसंपत्तियां) और / या कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा;	7,602.13	31 मार्च, 2027 को या इससे पहले
3.	कंपनी की सहायक कंपनी ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेना। जुटाई गई धनराशि का उपयोग सहायक कंपनी द्वारा अपने पूंजीगत व्यय (चल और अचल पूंजीगत परिसंपत्तियां) और/या कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा;	2,736.76	31 मार्च, 2027 को या इससे पहले
4.	संयुक्त उद्यम सह सहायक कंपनी में अपने आनुपातिक योगदान, अर्थात् इसकी चुकता इक्विटी–शेयर पूंजी का 70ः के रूप में भारत इनोवेटिव ग्लास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेना;	10,034.81	31 मार्च, 2027 को या इससे पहले
5.	कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना;	2,172.04	31 दिसंबर, 2026 को या इससे पहले
6.	सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए	10,860.18	31 दिसंबर, 2026 को या इससे पहले
	कुल	43,440.73	

(*) अनुबंधित समय के अंदर वारंटों के इक्विटी शेयरों में 100ः अंतरण पर विचार करना।

नोट :

1. सभी दशमलवों को दो दशमलव बिंदुओं तक पूर्णांकित किया गया है।
2. दिनांक 13 दिसंबर 2022 की बीएसई और एनएसई सूचना की शर्तों के अनुसार, इश्यू साइज के उपरिवर्णित उद्देश्य के लिऐ विनिर्दिष्ट राशि, +/– 10% सीमा तक विचलित हो सकती है, जो भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, क्योंकि उद्देश्य जो हैं वे प्रबंधन के अनुमानों तथा अन्य वाणिज्यिक एवं तकरीकी कारकों पर आधारित हैं। तदनुसार, यह विभिन्न कारकों जैसे कि वित्तीय, बाजार के तथा क्षेत्रवार दशाओं, व्यवसाय के निष्पादन एवं कार्यनीति, भू–राजनीतिक, प्रतिस्पर्धा और अन्य क्षेत्रवार कारकों पर निर्भर है, जो कि कंपनी के नियंत्रण में नहीं होता है।

क्रियान्वयन की अनुसूची तथा निधियों का नियोजन

सेबी आईसीडीआर विनियमावली के अध्याय V के अनुरूप तथा हमारे प्रबंधन द्वारा अनुमानितानुसार वारंट्स के आवंटन की तिथि से 18 (अट्ठारह) माह की अवधि के अंदर, इक्विटी शेयरों एवं वारंट्स के आवंटन पर कंपनी द्वारा प्राप्त की जाने वाली शुद्ध निर्गम आय, निर्गम से प्राप्त संपूर्ण आय का उपयोग उपर्युक्त सभी उद्देश्यों के लिए, अनेक चरणों में, कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं और निर्गम आय की उपलब्धता के लिए, 31 मार्च तक, किया जाएगा।

आय का अंतरिम उपयोग

हमारी कंपनी, इस सूचना में लागू कानूनों एवं दिशानिर्देशों तथा दिये गये विवरणानुसार तैयार की गई नीतियों के अनुसार, सकल आय के नियोजन के लिए लचीला रुख रखेगी। उपरोक्त विवरणित उद्देश्यों के लिए सकल आय के उपयोग के लंबित रहने पर, हमारी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में केवल सकल आय जमा करने का इरादा रखती है।

समस्त अन्य विवरण और विशिष्ट–विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। शुद्धिपत्र को दिनांक 12 दिसंबर 2024 की असाधारण सामान्य बैठक की सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक कथन के साथ पढ़ा जाएगा। यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.optiemus.com पर, तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (''एनएसई'') की वेबसाइट www.nseindia.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com (''बीएसई'') तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। शुद्धिपत्र को कंपनी के सभी पंजीकृत शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा जाएगा।

कृते ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड
हस्ता./–
विकास चंद्रा
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

स्थान : नोएडा
दिनाँक : 26 दिसंबर 2024

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के पहले (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए)
और
के मामले में
शिमिजु कॉर्पोरेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U45400DL2011FTC214851
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 130, सरोजिनी मार्केट, नई दिल्ली–110023, इंडिया में स्थित है
....("कम्पनी" और "याचिकाकर्ता कम्पनी")

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 30 जुलाई, 2024 को वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

शिमिजु कॉर्पोरेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 130, सरोजिनी मार्केट, नई दिल्ली–110023, इंडिया

कृते और ओर से
शिमिजु कॉर्पोरेशन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
श्री. केंजिरो हारा
दिनांक : 27.12.2024 — निदेशक
स्थान : बैंगलोर — डीआईएन : 09803380

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड,ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, छल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 **शाखा कार्यालयः** जी-01, ग्राउंड फ्लोर, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

जबकि आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** से ऋण लिया है। आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता है, और उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग सूचना जारी किया गया है। नोटिस की तारीख से, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस तामील नहीं किया जा सका।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तारीख और डिमांड नोटिस की तारीख	बकाया राशि रुपये में. /तिथि से
1	1) श्री अर्जुन सैनी (उधारकर्ता), 2) श्रीमती पूजा सैनी (सह–उधारकर्ता)	ऋण खाता संख्या 32629610000229 ऋण राशिः रु.15,00,000/–	**गिरवी रखी गई अचल संपत्तिः संपत्ति का विवरणः** अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, नगर निगम संख्या 407 वाला मकान, जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज यानी 58.55 वर्ग मीटर है, मोहल्ला सरजीत कॉलोनी, शामली, उत्तर प्रदेश–247776 में स्थित है। मालिक **श्रीमती पूजा सैनी, पत्नी श्री अर्जुन सैनी** सीमाः उत्तरः 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः अमरनाथ का मकान, **पूर्वः** वीर सेन का मकान, **पश्चिमः** शब्बीर का मकान।	एनपीए की तिथिः 02.12.2024 मांग सूचना की तिथिः15.12.2024	रु.15,55,346.48 (पंद्रह लाख पच्पन हजार तीन सौ छियालीस और अड़तालीस पैसे मात्र) 12–12–2024 तक
2	1) श्री सूर्यकांत (उधारकर्ता), 2) श्री धर्मपाल (सह–उधारकर्ता), 3) सुश्री रविता, 4) सुश्री ज्योति	ऋण खाता संख्या 32629630000110 ऋण राशिः रु.7,00,000/–	**गिरवी रखी गई अचल संपत्तिः संपत्ति का विवरणः** अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 103.30 वर्ग गज यानी 86.35 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 161, गांव शाहबुद्दीनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश–251001 में स्थित है। **श्री धर्मपाल, पुत्र श्री भोला राम के स्वामित्व में है। सीमाः उत्तरः** 20 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** विक्रेता का प्लॉट, **पूर्वः** सुरेश चंद का प्लॉट, **पश्चिमः** मूर्ति देवी का प्लॉट।	एनपीए की तिथिः 02.12.2024 मांग सूचना की तिथिः15.12.2024	रु.7,26,048.49 (सात लाख छब्बीस हजार अड़तालीस और उनचास पैसे मात्र) 12–12–2024 तक
3	1) श्री भावुक राणा (उधारकर्ता), 2)श्रीमती नेहा पँवार (सह–उधारकर्ता)	ऋण खाता संख्या 33919610000011 ऋण राशिः रु.22,50,000/–	**गिरवी रखी गई अचल संपत्तिः संपत्ति का विवरणः** अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा फ्लैट नंबर डी–605 है, जिसका माप [कालीन क्षेत्र 772.31 वर्ग फीट यानी 71.13 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 1200 वर्ग फीट यानी 111.48 वर्ग मीटर] है, जो 6वीं मंजिल, अंसल टाउन मेरठ ग्रुप हाउसिंग, फेज–2, मोदीपुरम, बाईपास रोड, गांव जटौली, परगना दौराला, तहसील सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 पर स्थित है। इसका स्वामित्व **श्री भावुक राणा, पत्नी श्री विजेंद्र कुमार** के पास है। इसकी सीमा इस प्रकार हैः **उत्तर/पूर्वः ड्राइववे, दक्षिण/पश्चिमः फ्लैट नंबर डी–606, पूर्व/दक्षिणः फ्लैट नंबर डी–604, पश्चिम/उत्तरः अन्य ब्लॉक।**	एनपीए की तिथिः 02.12.2024 मांग सूचना की तिथिः15.12.2024	रु.23,23,338.26 (रुपये तेईस लाख तेईस हजार तीन सौ अड़तीस और छब्बीस पैसे मात्र) 12–12–2024 तक

इसलिए कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे सभी संबंधित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता के खिलाफ कॉलम नंबर 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि के अनुसार संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कॉलम नंबर 4 में. कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का निपटान करने या उससे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांकः 27.12.2024, स्थानः शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए